



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

वैशाख 24, गुरुवार, शाके 1942- मई 14, 2020  
Vaisakha 24, Thursday, Saka 1942- May 14, 2020

भाग 4(ख)

राज्यपाल, राजस्थान के अध्यादेश।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 14, 2020

**संख्या प.4(2)विधि/2/2020.-** राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 मई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

**राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020**

**(2020 का अध्यादेश संख्यांक 3)**

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 मई, 2020 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अध्यादेश।

यतः राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अध्यादेश का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 168क का अंतःस्थापन.-** राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) में विद्यमान धारा 168 के पश्चात् और विद्यमान धारा 169 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

**"168क. विशेष परिस्थितियों में समय सीमा विस्तारित करने की सरकार की शक्ति.-** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उन कार्रवाइयों के संबंध में, जिनको किसी अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण या

जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट, या इसके अधीन विहित या अधिसूचित समय सीमा को विस्तारित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति में ऐसी अधिसूचना को किसी भी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की नहीं हो, भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "अपरिहार्य घटना" से युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखे, अग्नि, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति द्वारा या अन्यथा कारित किसी भी अन्य आपदा की दशा अभिप्रेत है, जिससे इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है।"

कलराज मिश्र,  
राज्यपाल, राजस्थान।

विनोद कुमार भारवानी,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**

**(GROUP-II)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, May 14, 2020**

**No. F.4(2)Vidhi/2/2020.-** In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (2020 Ka Adhyadesh Sankhyank 3) promulgated by him on the 13<sup>th</sup> day of May, 2020:-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ORDINANCE,  
2020**

**(Ordinance No. 3 of 2020)**

(Made and promulgated by the Governor on the 13<sup>th</sup> day of May, 2020)

*An*

*Ordinance*

*further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.*

Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, the Governor in exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, hereby promulgates in the Seventy-first Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Ordinance may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020.

(2) It shall come into force at once.

**2. Insertion of new section 168A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.-** After the existing section 168 and before the existing section 169 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the following new section shall be inserted, namely:-

**"168A. Power of Government to extend time limit in special circumstances.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, extend the time limit specified in, or prescribed or notified under, this Act in respect of actions which cannot be completed or complied with due to force majeure.

(2) The power to issue notification under sub-section (1) shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the commencement of this Act.

**Explanation.-** For the purposes of this section, the expression "force majeure" means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this Act."

कलराज मिश्र,  
**Governor of Rajasthan.**

विनोद कुमार भारवानी,  
**Principal Secretary to the Government.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**